प्रेषक,

आवश्यक / महत्वपूर्ण

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

सेवा में,

1—समस्त जिलाधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2—समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ मण्डल, मेरठ। GDA
3—नगर आयुक्त, मेरठ एवं गाजियाबाद।
4—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।

संख्या— 700 / 28—विविध / 2022—24 दिनांकः— 31 मार्च, 2023

विषयः— सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उत्खनन किए जाने से अवस्थापना एवं यूटिलिटी सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव हेतु **"Call Before u Dig" (CBud)** मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3, लखनऊ के ई—मेल पत्र संख्या—537 / आठ—3—2023 दिनांक 14 मार्च, 2023 (छाया प्रति संलग्न), जो आपको भी सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उत्खनन किए जाने से अवस्थापना एवं यूटिलिटी सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव हेतु "Call Before u Dig" (CBud) मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गए हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 14—03—2023 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद)
अपर आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सचिव 11/4/23

4466/PRO
10/04/2023

Sri Dig Vijay / Sri Rajeev Goel A.P.
13/4/23
AO

612/COM
11/4/2023

R-1413

ई–मेल

संख्या–537 / आठ–3–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **आयुक्त,**
   समस्त मण्डल,
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
5. **अध्यक्ष / जिलाधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।
6. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
   उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 14 मार्च, 2023**

विषयः–सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उत्खनन किये जाने से अवस्थापना एवं यूटिलिटी सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव हेतु "Call Before u Dig" (CBud) मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया देश में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उत्खनन किये जाने के दौरान उन स्थानों पर पहले से विद्यमान अवस्थापना एवं यूटिलिटी सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से आर्थिक क्षति, नागरिकों को असुविधा तथा अन्य हितधारकों को होने वाली व्यवसायिक हानि से बचाव के लिए उत्खनन करने वाली संस्था और अवस्थापना / यूटिलिटी सम्पत्तियों के धारक के मध्य समन्वय हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये **"Call Before u Dig" (CBud)** मोबाइल ऐप के उपयोग संबंधी विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 के पत्र संख्या–376 / 78–1–2023–1099 / 722 / 2019 एवं उसके साथ संलग्न डी0डी0जी0, राष्ट्रीय ब्राडबैण्ड मिशन, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–3–1 / 2022–एन.बी.एम. दिनांक 29.12.2022 **(अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से यूटिलिटी सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव हेतु "Call Before u Dig" (CBud) मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–540 / आठ–3–2023 दिनांक 14.03.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा भारत सरकार एवं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के उक्त अनुरोध के अनुक्रम में "Call

K.P.-G.O.-2023 R

Email
AC(T)
Commissioner,
Meerut Division, Meerut
14/3/23
प्रा0 सहायक
(महेन्द्र प्रसाद)
आई.ए.एस.
अपर आयुक्त